न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 352/2025(GCMS : 2025/472)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर, शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **सावत्री देवी** पत्नी श्री श्योलाल निवासी 17 एस.टी.बी. पालीवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335804 **अन्य पता** पट्टा संख्या 05 स्थित पालीवाल तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
2. **साहब राम** पुत्र श्री श्योलाल निवासी वार्ड नं. 03, 17 एस.टी.बी. पालीवाल, पो.ऑ. रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन न. 335804
3. **विजयलक्ष्मी** पत्नी श्री साहबराम पुत्र श्री श्योलाल निवासी वार्ड नं. 03, 17 एस.टी.बी. पालीवाल, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335804
4. **गणेश सिंह** पुत्र श्री धर्मसिंह म.नं. 14, वार्ड नं. 11 सुकराना, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.), पिन नं. 335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सावत्री देवी, साहबराम, विजय लक्ष्मी एवं गणेश सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 4.13/- लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 05.06.2025 को 3,03,817/- रूपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सावत्री देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 05 स्थित पालीवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसका साईज 2500 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:48:52 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण **सावत्री देवी, साहब राम , विजय लक्ष्मी एवं गणेश सिंह** को **4.13/- लाख रूपये** का **ऋण स्वीकृत कर,** 2.75/- लाख रूपये का अनुबन्ध दिनांक 15.06.2018 को एवं 1.38/-

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लाख रूपये का अनुबन्ध दिनांक 24.06.2018 को किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण सावत्री देवी ने अपनी अचल **सम्पत्ति पट्टा संख्या 05 स्थित पालीवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसका साईज 2500 वर्गफुट है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.06.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति का पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी डिलीवरी की सूची पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी सावत्री की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 05 स्थित पालीवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसका साईज 2500 वर्गफुट है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.06.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.06.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा [illegible] नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक** 08.06.2025 को [illegible] रसीद एवं का पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी डिलीवरी की सूची [illegible] में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील [illegible] होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 17.06.2025 को प्रकाशित करवाये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:48:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सावत्री देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी सावत्री देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 05 स्थित पालीवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसका साईज 2500 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:48:52 IST
Reason: SelfAttested